न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/185

1. घांसीलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल ।
2. अशोक कुमार पुत्र स्व0 पन्ना लाल ।
3. कालावती पत्नी स्व0 पन्नालाल ।
4. गोरधनलाल पुत्र भंवरलाल ।
5. धनकंवर पुत्री भंवर लाल पत्नी रामप्रसाद ।
6. मेहिनी बाई पुत्री भंवर लाल पत्नी बाबूलाल ।
7. मनभर पुत्री भंवरलाल पत्नी छीतर लाल ।
8. चन्द्र कैलाश पुत्री भंवर लाल पत्नी भंवर लाल समस्त काछी निवासीगण आवां तहसील कनवास जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. हेमराज पुत्र रामप्रताप ।
2. सत्यनारायण पुत्र रामप्रताप ।
3. भैरी बाई पत्नी स्व0 रामप्रताप ।
4. कंचनबाई पुत्री देवलाल पत्नी नन्दलाल ।
5. रामकन्या पुत्री देवलाल पत्नी नन्दलाल ।
6. सोहनलाल पुत्र सूरजमल जाति कलाल समस्त निवासीगण ग्राम आवां तहसील कनवास जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कनवास जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 06 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.02.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आवां तहसील सांगोद में कुल किता 06 की रकबा 3.82 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक प्रतिवादी कम 1 लगायत 9 व प्रतिवादी कम 12 के तथा पुष्पाबाई बेवा धूल्या के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त भूमि हाल ही में हुए सेटलमेंट से पूर्व पुष्पाबाई पुत्री धूल्या हिस्सा 1/2 व अन्य सहखातेदारान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । परन्तु सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादी ने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से पुष्पाबाई पुत्री धूल्या के स्थान पर पुष्पा बाई बेवा धूल्या हिस्सा 1/2 का इन्द्राज कर दिया, जबकि उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने का काई अधिकार नहीं था । मृतक पुष्पाबाई का सदैव से ही उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा रहा है जिसको वह अन्य सहखातेदारान की सहमति से उनके जीवनकाल में मौके पर उपयोग उपभोग करती रही । उनकी मृत्यु उनके विधिक वारिसान होने की वजह से वादीगण व प्रतिवादी कम 10 व 11 शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते रहे हैं । उक्त भूमियों का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाए तथा वादग्रस्त आराजी में मृतक पुष्पाबाई पुत्र धूल्या के स्थान पर 1/2 हिस्से में खातेदार घोषित करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी कम 1 लगायत 9 व 12 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमि को पृथक–पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी में वर्णित पुष्पाबाई पुत्री धूल्या की 1/2 हिस्से की कृषि भूमियों को वादीगण को उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.09.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की तथा वादग्रस्त आराजी से मृतक पुष्पाबाई पुत्री धूल्या के स्थान पर 1/2 हिस्से में वादीगण को खातेदार घोषित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्णित तनकियात के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य न होते हुए भी निर्णय पारित किया है । पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबन्दी में दर्ज मृतक खातेदार पुष्पाबाई बेवा धूल्या से उक्त पक्षकारान का कोई सम्बन्ध रिकॉर्ड एवं साक्ष्य से साबित न होने से पूर्णतः त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सम्मन मय नकल दावा तामील नहीं हुआ है । अपीलान्टगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी कनवास न्यायालय में वादग्रस्त भूमि से पुष्पाबाई बेवा धूल्या का नाम खारिज करवाने हेतु कानूनी कार्यवाही करने हेतु अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया था किन्तु अभिभाषक महोदय द्वारा अपीलान्ट की ओर से राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन हेतु वादपत्र प्रस्तुत न कर रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई भी कार्यवाही करने पर उसी कार्यवाही में वकालतनामा प्रस्तुत कर स्व0 पुष्पाबाई पुत्री धूल्या का नाम राजस्व रिकॉर्ड से खारिज करवाने का आश्वासन दे दिया था । इसी कारण अपीलान्ट निश्चित रहे इस कारण सन् 2015 से जून 2022 तक मध्य तक अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की जवाबदेही करने व एकपक्षीय निर्णय हो जाने की कोई सूचना नहीं दी गई तथा जून, 2022 के अंतिम सप्ताह में हल्का पटवारी द्वारा कुल वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होते हुए भी खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की जानकारी दी गई जिस पर अपने अभिभाषक से सम्पर्क पर दिनांक 30.06.2022 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 01.07.2022 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 06 के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

9. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति पर्चा चकबन्दी सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट ग्राम आवां एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा नोटिस की फोटो प्रति हैं । उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपील में अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने बाबत् अपील के साथ अलग से धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट पक्ष की ओर से कोई जवाब अथवा कॉस एफिडेविट प्रस्तुत नहीं किया है तथा

रेस्पोडेन्ट कम 06 सोहन लाल के विद्वान् अभिभाषक रवीन्द्र खण्डेलवाल द्वारा भी उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध न कर अपील अवधि मध्य स्वीकार करने की बहस की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय रूप से प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत न होने पर भी दिनांक 31.08.2016 को जवाबदावा बन्द कर दिनांक 01.03.2017 को तनकीयात कायम कर वादपत्र में वादीगण द्वारा की गई प्रार्थना मुताबिक पुष्पाबाई बेवा धूल्या के स्थान पर पुष्पाबाई पुत्री धूल्या का नाम घोषित किये जाने बाबत् पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत न होते हुए भी पूर्णतः अस्पष्ट एवं भ्रामक आदेश एवं डिक्री "कृषक भूमि में इन्द्राज दुरूस्त कर मृतक पुष्पा बाई बेवा धूल्या के स्थान पर 1/2 हिस्से में खातेदार घोषित किया जाकर" शब्द अंकित कर पुष्पा बाई बेवा धूल्या जो सेटलमेंट से पूर्व जमाबन्दी में खातेदार धूल्या पुत्र घांसी की मृत्यु के बाद वैध रूप से दर्ज है, को त्रुटिपूर्ण होने बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं किया गया हैजबकि अपील में अंकित तथ्यों के मुताबिक वादपत्र में अंकित वंशवृक्ष में वादीगण पुष्पाबाई बेवा देवलाल के वारिसान हैं । तहसील रिपोर्ट दिनांक 26.05.2021 मुताबिक वादीगण का किसी भी खसरा नम्बर पर कब्जा नहीं है तथा वादीगण का पूर्व खातेदार पुष्पा बाई बेवा धूल्या से कोई सम्बन्ध नहीं है । पुष्पाबाई पुत्री धूल्या के नाम से कोई वारिस स्व0 धूल्या पुत्र घासी का नही है । इस प्रकार से एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पूर्णतः विधि–विरूद्ध है । चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2017 पूर्णतः विधि–विरूद्ध है तथा इसमें ग्रोस इति लिखी है, अतः धारा 05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के पारित किया है । उक्त निर्णय Gross Abuse of Process of Court होना मानकर न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट कम 6 के विद्वान् अभिभाषक ने अपीलान्ट की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना कथन किया है ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 26.05.2021 मे स्पष्ट किया गया है कि "उपखण्ड अधिकारी कनवास के निर्णय दिनांक 14.09.2017 की पालना मे ग्राम आवां की कुल आराजी किता 6 रकबा 3.82 हैक्टेयर भूमि का विभाजन प्रस्ताव करने हेतु मौके पर जाकर निरीक्षण किया। मौके पर वादीगण का आज दिनांक को उक्त आराजी मे से किसी भी खसरा नम्बर मे कब्जा काश्त नहीं है।" इस रिपोर्ट मे वादी के पक्ष मे पारित डिक्री पर सन्देह उत्पन्न होता है । रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 की तरफ से बावजूद नोटिस तमील होने के न्यायालय हाजा में कोई उपस्थित नहीं हुआ । रेस्पोडेन्ट कम 06 ने भी निर्णय 14.09.2017 को पूर्णतः विधि–विरूद्ध होने का अपीलान्ट का समर्थन किया है । अधीनस्थ

न्यायालय की पत्रावली में भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि पुष्पा धूल्या की पुत्री है तथा रिपोर्ट तहसीलदार भी संदेह उत्पन्न करती है । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डब्ल्यूएलसी 2021 (राज0) पेज 315, एआईआर 1998 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 32222 के प्रकाश मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम आवां की कुल किता 06 की रकबा 3.82 हैक्टर भूमि घांसीलाल बालिग अशोक कुमार नाबालिग पुत्रान पन्ना कलावती बाई बेवा पन्नालाल हिस्सा 1/16 हि.ब. नाबालिग की वली माता खुद कलावती बाई, गोरधनलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/32, धनकंवरबाई, मोहनीबाई, मनभर बाई, चन्द्रकेलाश बाई पुत्रियां भवंरलाल हिस्सा 1/4, मोत्यांबाई बेवा भंवरलाल हिस्सा 1/16 पुष्पाबाई बेवा धूलिया हिस्सा 1/2 जाति काछी साकिन देह, सोहनलाल पुत्र सूरजमल जाति कलाल साकिन देह हिस्सा 1/32 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श–2 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3 संलग्न है । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 द्वारा कोई राजस्व रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे पुष्पाबाई , मृतक खातेदार धूलिया की बेवा नहीं होकर धूलिया की पुत्री होने की पुष्टी होती हो। न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.2017 के द्वारा उक्त आराजीयात मे इन्द्राज दुरूस्त कर मृतक पुष्पाबाई पुत्री धूल्या के स्थान पर 1/2 हिस्से मे खातेदार कृषक घोषित किया जाकर मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार व राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 के अनुसार प्राथमिक डिकी जारी की गई है । जबकि, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 26.05.2021 मे स्पष्ट किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी कनवास के निर्णय दिनांक 14.09.2017 की पालना मे ग्राम आवां की कुल आराजी किता 6 रकबा 3.82 हैक्टेयर भूमि का विभाजन प्रस्ताव करने हेतु मौके पर जाकर निरीक्षण किया। मौके पर वादीगण का आज दिनांक को उक्त आराजी मे से किसी भी खसरा नम्बर मे कब्जा काश्त नहीं होना उल्लेखित किया गया है। इससे यह सन्देह उत्पन्न होता है कि पुष्पा, धूल्या की क्या वास्तव मे पुत्री थी? इससे प्रतीत होता है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में सभी सही, आवश्यक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे कहीं यह विवेचन व विश्लेषण नहीं किया गया है कि पुष्पा धूल्या की पुत्री किस आधार पर साबित होती है । वादी ने वाद मे कहे गये कथनों को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। वाद को सिद्ध करने का भार वादी पर होता है, परन्तु वादी ने सेटलमेन्ट से पूर्व के तथा सेटलमेन्ट के बाद के कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किये है, जिसमे सेटलमेन्ट द्वारा त्रुटि करना साबित होता हो। कोई अन्य ठोस दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे पुष्पा धूल्या की पुत्री साबित होती हो। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण मे तीन तनकीयात कायम की गई थी परन्तु निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय मे तनकीवार निष्कर्ष पारित नहीं किया गया। निर्णय दिनांक 14.09.2017 मे कोई विवेचन व विश्लेषण नहीं है। अतः निर्णय दिनांक 14.09.2017 स्पीकिंग व रिजन्ड नहीं है। हम प्रस्तुत प्ररकण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर समस्त अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर अपीलान्टगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नवीन सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 03.03.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा